भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3129
06 अगस्त, 2026 को उत्तर देने के लिए

कोल्हापुर से एपीसी के लिए प्रस्ताव

†3129. श्री शाहू शहाजी छत्रपतीः

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) के अंतर्गत कोल्हापुर की तहसीलों/क्षेत्रों से प्राप्त कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर (एपीसी) से ऐसे प्रस्तावों की संख्या का ब्यौरा क्या है जो मूल्यांकन के स्तर पर लंबित हैं तथा वे कितने समय से लंबित हैं;

(ख) कोल्हापुर की गन्ना/गुड़ अर्थव्यवस्था में फसल में अत्यधिक नुकसान होने के बावजूद अनुमोदन में बाधा बनी विशिष्ट कमियां या आपत्तियां क्या हैं;

(ग) प्रस्तावित निवेश, प्रसंस्करण क्षमता, रोजगार वचनबद्धता और मूल्यांकन समिति की अंतिम टिप्पणियों सहित उक्त परियोजना का ब्यौरा क्या है; और

(घ) प्रसंस्करण संबंधी अंतराल के कारण किसानों को हो रही कठिनाइयों के संबंध में त्वरित समय-सीमा निर्धारित करने तथा अधिकारियों की जवाबदेही तय करने सहित इन अप्रत्याशित विलंबों को दूर करने के लिए उठाए गए तात्कालिक कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री
(श्री चिराग पासवान)

(क) से (घ) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) वर्ष 2017 से प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) की एक घटक योजना के रूप में कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर के लिए अवसंरचना सृजन (एपीसी) योजना लागू कर रहा है। एपीसी योजना का उद्देश्य क्लस्टर दृष्टिकोण पर आधारित खाद्य प्रसंस्करण के लिए आधुनिक अवसंरचना तैयार करना, फसलोत्तर नुकसान को कम करना, कृषि उत्पादों का मूल्यवर्धन करना, किसानों की आय बढ़ाना और रोजगार सृजित करना है। यह योजना मांग आधारित है और यह जिला / राज्य/ उत्पाद/ क्षेत्र विशिष्ट नहीं है।

मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी की गई अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) के माध्यम से, संभावित निवेशकों/उद्यमियों से प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं, जो निधि की उपलब्धता पर निर्भर करता है। वर्तमान में, एपीसी योजना के अंतर्गत कोई ईओआई खुला नहीं है। इसके अतिरिक्त, दिनांक 14.05.2025 के अंतिम ईओआई के संदर्भ में कोल्हापुर से कोई भी प्रस्ताव मंत्रालय में लंबित या मूल्यांकन के तहत नहीं है।

*****